प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

रिट याचिका सं 285/1996

सुरक्षित किया गया :03.04.2025

पारित किया गया : 09.06.2025

1(i)।(हटा दी गया)माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13–09–2021 के अनुसार श्रीमती बिट्टन।
(ii).सत्य प्रकाश लाल पिता स्वर्गीय श्री एम. पी. लाल, 38 वर्ष
(iii).राकेश कुमार श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय श्री एम. पी. लाल, 33 वर्ष उपरोक्त समस्त वार्ड संख्या 15, उत्तर झारखंड, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।

2 – अनिल कुमार पांडे, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, पौराधार, पोस्ट रवि नगर, जिला शहडोल (म.प्र.), जिला : शहडोल, मध्य प्रदेश

3 – शेषमणि शर्मा, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, झिमार, पोस्ट झिमर, जिला शहडोल (म.प्र.), जिला : शहडोल, मध्य प्रदेश

4 – विष्णु प्रसाद मिश्रा, सहायक अध्यापक, प्राथमिक शाला, राजनगर कोलियरी, पोस्ट राजनगर, जिला शहडोल (म.प्र.), जिला :शहडोल, मध्य प्रदेश

5 – सुदेश कुमार राजपूत, सहायक अध्यापक, माध्यमिक शाला, साउथ झगराखंड, पोस्ट साउथ झगराखंड, जिला सरगुजा (म.प्र.)

6 – आर.एस. सिंह, व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल, उत्तर झगराखंड, पोस्ट उत्तर झगराखंड, जिला सरगुजा (म.प्र.)

7 – विनोद कुमार तिवारी, व्याख्याता, हायर सेकेण्डरी स्कूल, उत्तरी झगराखाण्ड, जिला सरगुजा (म.प्र.)

8 – रामावतार गुप्ता, व्याख्याता, हायर सेकेण्डरी स्कूल, उत्तरी झगराखण्ड, जिला सरगुजा (म.प्र.)

––– याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसके अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के द्वारा , सीपत रोड, बिलासपुर , जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2 – सांघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी, उत्तर झागराखंड, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)

3 – महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हसदेव क्षेत्र, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)।

––उत्तरवादीगण

<u>के साथ</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका सं 1675/2001

1 – रामावतार गुप्ता, पिता स्वर्गीय श्री राम बहोरी गुप्ता, 49 वर्ष , व्याख्याता, उच्च माध्यमिक विद्यालय, झागराखंड, निवासी– बड़ी दफई, दक्षिण झागराखंड, पीओ झागराखंड, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

–– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसके अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के द्वारा , सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2 – मुख्य महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हसदेव क्षेत्र, पदेन अध्यक्ष, सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी, डाकघर साउथ झगराखंड, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

3 – मुख्य कार्मिक प्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हसदेव क्षेत्र, पदेन अध्यक्ष, सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी, डाकघर साउथ झगराखंड, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

4– जिला शिक्षा अधिकारी, कोरिया, पी.ओ. बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

5– प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल, सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसायटी, झगराखंड, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। जिला :कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़

6 – श्री राम मणि त्रिपाठी, पुत्र स्वर्गीय श्री जगदंबा प्रसाद त्रिपाठी, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी नंदू गैराज वाली गली, तेलीपारा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण हेतु :श्री अमृत दास तथा श्री अशोक कुमार शुक्ला,अधिवक्तागण

उत्तरवादी हेतु//एसईसीएलः श्री विनोद देशमुख, अधिवक्ता।

राज्य हेतु :श्री किशन लाल साहू, उप शासकिय अधिवक्ता

माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास, न्यायाधीश

सीएवी आदेश

1. चूंकि दोनों रिट याचिकाओं में एक समान विवाद्यक तथा तथ्यों का एक समान प्रश्न शामिल है, इसलिए उन्हें समान रूप से सुना जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय दिया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा डब्ल्यू. पी. क्रमांक 285/1996 दायर किया गया है ताकि उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश जारी किया जा सके कि वे 01/08/1989 से 31/01/1995 तक के वेतन के बकाया का भुगतान राज्य सरकार में कार्यरत शिक्षकों/व्याख्याताओं को दिए जाने वाले वेतन के समान 25% की दर से बिना

किसी कटौती के करें और साथ ही 01/04/1994 से अब तक का पूरा वेतन बोनस आदि सहित बिना किसी मासिक 25% की कटौती के भुगतान करें।

3. याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी/एसईसीएल द्वारा पारित दिनांक 26.06.1996 के आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं, को चुनौती देते हुए याचिका क्रमांक 1675/2001 दायर की गई है।याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के साथ अन्य शिक्षकों के समान व्यवहार करने तथा उसे नियमित वेतन और बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया है।

4. याचिका क्रमांक 285/1996 में अभिलेखों से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:---

(क) याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 2/सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी, उत्तर झारखंड, जिला कोरिया, वर्तमान में मनेन्द्रगढ़ में क्रमशः प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता और शिक्षक के पदों पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि उत्तरवादी/एसईसीएल सोसाइटी को 100% अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है, इस प्रकार, एसईसीएल का सोसाइटी पर शिक्षकों की नियुक्ति सहित सभी प्रकार का नियंत्रण और पर्यवेक्षण है।यह भी तर्क दिया गया है कि विभिन्न स्रोतों से, एसईसीएल स्कूल चलाने के लिए सोसायटी को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(बी) यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी संख्या 1 ने मध्य प्रदेश कोयला मजदूर सभा (एचएमएस) के साथ एक समझौता (अनुलग्नक पी/5) किया है, जिसमें उत्तरवादी संख्या 2/सोसायटी द्वारा नियोजित शिक्षकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।करार के अनुसार, वेतन और बकाया राशि का लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जो उक्त करार पर हस्ताक्षर करेंगे।आगे यह तर्क दिया गया है कि संघ के पदाधिकारी शिक्षकों पर संघ को बकाया राशि का 25% तथा प्रतिमाह वेतन का 25% भुगतान करने का दबाव बना रहे हैं, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अस्वीकार कर दिया है, इसलिए उन्हें उक्त करार का लाभ नहीं दिया गया है।

(सी) आगे यह तर्क दिया गया है कि वे अप्रैल, 1994 से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वेतन का भुगतान इस आधार पर नहीं किया गया है कि उन्होंने दिनांक 28.03.1997 के करार को स्वीकार नहीं किया है और उस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया हैं।इस तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने 01.08.1989 से 31.01.1995 तक के वेतन के अंतर को शिक्षकों को दिए गए वेतन के बराबर प्रदान करने की प्रार्थना की है, जैसा कि अनुलग्नक पी/6 में विस्तृत है और साथ ही, अनुलग्नक पी/7 में विस्तृत रूप से भुगतान किए जाने तक पूर्ण वेतन प्रदान करने की भी प्रार्थना की है।यह भी तर्क दिया गया है कि उन्होंने अपनी शिकायतों को उठाते हुए विभिन्न अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी/8) प्रस्तुत किए हैं, जिन पर निर्णय नहीं लिया गया है।इसलिए, उपरोक्त अनुतोष हेतु यह याचिका प्रस्तुत किया गया है।

5. उत्तरवादी क्रमांक 1 और 3 ने अपना रिटर्न दाखिल करते हुए मुख्यतः यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी के कर्मचारी हैं, जो मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है।इस प्रकार, सोसाइटी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की रिट याचिका पोषणीय नहीं

है क्योंकि उनका उत्तरवादी क्रमांक 1 और 3 से कोई संबंध नहीं है।यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 और 3 याचिकाकर्ताओं को कोई वेतन देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और यह भी अस्वीकार किया गया है कि एसईसीएल उन्हें 100% सहायता अनुदान दे रहा है।यह प्रस्तुत किया गया है कि एसईसीएल द्वारा धनराशि एक कल्याणकारी योजना के तहत आवंटित की गई थी, जो याचिकाकर्ताओं को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।यह प्रस्तुत किया गया है कि यह करार म.प्र. कोयला मजदूर सभा (एचएमएस) और उत्तरवादी उत्तरवादीगण के बीच सोसायटी की सहायता के लिए किया गया था और यह सोसायटी के कर्मचारी और सोसायटी के बीच एक स्वैच्छिक करार है।उत्तरवादी याचिकाकर्ताओं के नियोक्ता नहीं हैं।जहाँ तक यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा की गई मांग के संबंध में आरोप का प्रश्न है, यह यूनियन के सदस्यों के पास है और उत्तरवादी संख्या 1 और 3 को इस पर कुछ नहीं कहना है और वे रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

6. उत्तरवादी संख्या 2 ने भी अपना रिटर्न दाखिल किया है, जिसमें मुख्यतः यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी सोसायटी की स्थापना तत्कालीन निजी मालिक झगराखंड कोलियरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई थी और यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, 5, 6 की सेवाएँ 27.07.1996 को समाप्त कर दी गईं और याचिकाकर्ता संख्या 7 और 8 की सेवाएँ 26.09.1996 को समाप्त कर दी गईं, इस प्रकार वे सेवा में नहीं थे।चूँकि जिस स्कूल में वे कार्यरत थे, वह सहायता प्राप्त नहीं था, इसलिए इस मामले में शिक्षा विभाग की कोई भूमिका नहीं है और उक्त विभाग द्वारा जारी कोई भी आदेश बाध्यकारी नहीं है।याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स.क.सं याचिका में	नाम	अवधि	भुगतान की गई राशि
2.	अनिल कुमार पांडे फरवरी 95 से जनवरी 96	फरवरी 96 से अक्टूबर 96	रु. 14403.00 रु. 1762.00
3	शेषमणि शर्मा फरवरी 95 से जनवरी 96	फरवरी 96 से अक्टूबर 96	रु. 15423.00 रु. 6961.00
1	एम पी लाल	फरवरी 95 से जनवरी 96 फरवरी 96 से 27.07.96	रु. 23154.00 रु. 6410.00
5	आर. एस. सिंह	फरवरी 95 से जनवरी 96 फरवरी 96 से	रु. 18304.00 रु. 4934.00

		27.07.96	
6	एसके राजपूत	फरवरी 95 से जनवरी 96 फरवरी 96 से 27.07.96	रु. 15423.00– 01.05.95 से 26.07.96 तक अनुपस्थित
7	वीके तिवारी	95 फरवरी से 96 जनवरी तक फरवरी 96 से 26.06.96–के दौरान उपस्थित	रु. 24038.00
8	रामावतार गुप्ता	फरवरी 95 से जनवरी 96 फरवरी 96 से 26.06.96	रु. 23127.00–इस अवधि के दौरान अनुपस्थित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 5/प्रधानाचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिंघी कोलियरीज द्वारा पारित दिनांक 26.06.1996 (अनुलग्नक पी–1/ए) के आदेश की वैधता, वैधता और औचित्य को चुनौती देते हुए 2001 की डब्ल्यूपी 1675 दाखिल की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झगराखंड में 19.08.1979 को उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लगभग नौ वर्षों तक उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में सेवा करने के बाद, याचिकाकर्ता ने फिर से चयन प्रक्रिया से गुज़रा और उसी स्कूल में व्याख्याता के पद के लिए चुना गया और 26.11.87 को व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता और स्कूल के अन्य शिक्षक अपने नियमित वेतन का भुगतान न होने और राज्य सरकार के शिक्षकों के समान वेतन न मिलने से व्यथित थे, इसलिए उन्होंने एमपी लाल एवं अन्य बनाम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.पी. संख्या 285/95 के तहत एक रिट याचिका दायर की। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 1996–97 के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद, याचिकाकर्ता स्कूल पहुँचा तथा उत्तरवादी संख्या 5 से उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, हालाँकि उसे सूचित किया गया कि उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं और बताया गया कि इस संबंध में उसके पते पर एक लिखित आदेश पहले ही भेजा जा चुका है।यह भी तर्क दिया गया है कि उन्हें बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना कोई विभागीय जांच किए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।यह भी तर्क दिया गया है कि सोसायटी के उपनियमों के

अनुसार प्रधानाचार्य को बर्खास्तगी का कोई आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है और वे 26.06.1996 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करते है।

8. उत्तरवादी संख्या 1 से 3 ने अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता उनके द्वारा नियोजित नहीं था और उत्तरवादी संख्या 2 और 3 को कारण शीर्षक में गलत तरीके से सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसायटी का पदेन अध्यक्ष बताया गया है, जबकि वर्तमान में वे सोसायटी में किसी पद पर नहीं हैं।आगे यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने मुख्य महाप्रबंधक (पी एंड टी) एस.ई.सी.एल. बिलासपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.9.99 के माध्यम से निर्देश दिया है कि कंपनी का कोई भी अधिकारी किसी भी सोसायटी का सदस्य नहीं होना चाहिए और इस प्रकार हसदेव क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. का कोई भी अधिकारी सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसायटी का सदस्य नहीं है।आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 5 की कार्रवाई को चुनौती दी है, जो कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसायटी के प्राचार्य हैं, जो फर्म और सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और एक स्वतंत्र प्राधिकारी हैं और उनका सोसायटी के मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इस प्रकार उनके खिलाफ रिट याचिका पोषणीय नहीं है।यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 1 और 3 के बीच कोई नियोक्ता/कर्मचारी संबंध नहीं है, इसलिए रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना नहीं की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादी संख्या 5 ने भी अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की स्वयं के तर्क से यह स्पष्ट है कि उसे पता चला कि उसकी सेवाएं 26.06.1996 से समाप्त कर दी गई थीं।इसके पश्चात् 5 वर्ष की अवधि के बाद, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की, जो देरी और देरी के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है, भले ही इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है।यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह था और बिना किसी अनुमति के लंबे समय से अनुपस्थित था।नोटिस के बावजूद, उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया और 15.09.1995 से 13.04.1996 तक अनुपस्थित रहे, उसके बाद दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया लेकिन याचिकाकर्ता कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित नहीं हुए, इस प्रकार उन्होंने अपनी सेवा छोड़ दी थी और रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करता है।

10. उत्तरवादी क्रमांक 6 ने अपना जवाब मुख्य रूप से यह कहते हुए दायर किया है कि याचिकाकर्ता सिंघी कोलियरी एजुकेशन, हसदेव क्षेत्र द्वारा संचालित व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे, जो एसईसीएल/प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा संचालित, वित्तपोषित और प्रबंधित है।यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के तुरंत बाद अपने काम में रुचि खो दी और अपने काम और कर्तव्यों को निभाने के बजाय, उसने स्कूल के सुचारू संचालन में अनावश्यक व्यवधान पैदा करना शुरू कर दिया और अन्य शिक्षकों को भी अपना कर्तव्य न निभाने के लिए मनाने की कोशिश की।यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने कक्षा ग्यारहवीं के रसायन विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की और उसने जानबूझकर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच इस तरह से की कि यह देखने के लिए कि शैक्षणिक सत्र 1991–1992 में सभी छात्र अनुत्तीर्ण हो गए,

जो याचिकाकर्ता के काम करने का अनुचित रवैया था।एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के क्षेत्रीय वैयक्तिक प्रबंधक को छात्रों द्वारा किया गये परिवाद पर, तत्कालीन वैयक्तिक प्रबंधक एसईसीएल हसदेव क्षेत्र श्री एल.बी. सिंह द्वारा जांच की गई तथा उस जांच में याचिकाकर्ता का आचरण अवांछनीय पाया गया।जाँच रिपोर्ट के आधार पर, सोसाइटी के तत्कालीन सचिव श्री जे.आर. वर्मन ने 27.03.1993 को याचिकाकर्ता को चेतावनी पत्र जारी किया। चेतावनी पत्र जारी होने के बाद भी, याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ और वह अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहता था।इस मामले को सोसाइटी के मुख्य महाप्रबंधक सह अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया ताकि उचित कदम उठाए जा सकें।नियमित और उचित वेतन न मिलने पर, कोलियरी शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम एसईसीएल के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में रिट याचिका क्रमांक 3536/1993 दायर की गई, जिसमें एसईसीएल स्कूल कर्मचारियों के वेतन के बराबर वेतन की मांग की गई थी, जिसमें 13.09.1993 को एसईसीएल को नियमित वेतन देने का अंतरिम निर्देश दिया गया था।

11. इस आदेश को न तो उच्च न्यायालय ने रद्द किया और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया गया।इस बीच, दिनांक 13.09.1993 के अन्तरिम आदेश का पालन न किये जाने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई तथा अवमानना कार्यवाही से बाहर आने के लिए एस.ई.सी.एल. ने स्कूल के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को करार करने के लिए राजी किया और फलस्वरूप एस.ई.सी.एल. तथा शिक्षक एवं कर्मचारियों और म.प्र. कोयला मजदूर सभा (एच.ए.एम.एस.) के मध्य दिनांक 06.12.1994 को समझौता ज्ञापन तथा दिनांक 29.03.1995 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये।समझौते में, प्रधानाचार्य को अनुशासनात्मक अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है।दिनांक 19.03.1995 के समझौता ज्ञापन (जो केवल चरित्र–चित्रणात्मक प्रकृति का था) में कंडिका (7) में पुनः दोहराया गया है कि प्रधानाचार्य अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। अतः, प्रधानाचार्य के रूप में उत्तरवादी द्वारा एक नोटशीट प्रस्तुत की गई, जिसे मुख्य महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे मुख्य महाप्रबंधक द्वारा याचिकाकर्ता एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु अनुमोदित किया गया।यह भी तर्क दिया गया है कि समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य महाप्रबंधक द्वारा शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक समिति भी गठित की गई थी। मुख्य महाप्रबंधक ने प्रधानाचार्य को याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया था। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1996 में उनके पद से हटा दिया गया था और यह याचिका वर्ष 2001 में दायर की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर करने में पाँच वर्ष की देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए याचिका केवल विलंब और कुंडी के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्कूलों को राज्य सरकार से कोई अनुदान सहायता नहीं मिल रही थी और वे रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

12. याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए प्रत्युत्तर दायर किया है कि पूरी कार्यवाही उत्तरवादी संख्या 6 के इशारे पर की गई थी, जो उस समय उक्त विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में तैनात थे और यह कार्रवाई पूरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तरह से दुर्भावना से प्रेरित थी क्योंकि याचिकाकर्ता और उनके साथियों ने एसईसीएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिसे करने के लिए उत्तरवादी संख्या 6 याचिकाकर्ता पर दबाव डाल रहा था।याचिकाकर्ता द्वारा इनकार उत्तरवादी संख्या 6 के लिए बहुत कष्टप्रद था और इसी कारण बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया था।यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी संख्या 6 ने कुछ शिकायतें प्रस्तुत की हैं जिनमें छात्र कक्षा 11 के रसायन विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे। इसका वस्तुतः कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह किसी भी जांच या अन्यथा की शुरुआत का आधार नहीं है।यदि याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ योग्य नहीं थीं, तो विभागीय जाँच की जानी चाहिए थी और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद याचिकाकर्ता को हटाया जा सकता था।लेकिन उत्तरवादी संख्या 5/6 ने कानूनी रूप से अपेक्षित तरीके से कार्य नहीं किया गया।यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी संख्या 6 ने समझौता ज्ञापन के तहत उसे प्राप्त शक्तियों का भी उल्लेख किया है। दुर्भाग्य से, समझौता ज्ञापन के प्रावधान याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होंगे क्योंकि याचिकाकर्ता ने कभी भी उक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वास्तव में, यही समझौता ज्ञापन प्रबंधन और याचिकाकर्ता के बीच टकराव का कारण था।इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया, याचिकाकर्ता को परेशान किया गया और इतने दिनों तक कष्ट सहना पड़ा।याचिकाकर्ता ने प्राचार्य और संघ के अन्य सदस्यों द्वारा उक्त समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन के विरुद्ध लोक शिक्षण निदेशालय के संयुक्त निदेशक के समक्ष भी परिवाद दर्ज कराई।आगे यह तर्क दिया गया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्रिंसिपल को बर्खास्तगी का आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता हो और इसके अलावा, बर्खास्तगी का विवादित आदेश जारी करने से पहले कोई विभागीय जांच नहीं हुई थी और रिट याचिका को अनुमति देने के लिए प्रार्थना की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने डब्ल्यूपी संख्या 285/1996 में प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को 29.03.1995 के समझौते पर हस्ताक्षर करने या उसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, बशर्ते कि वे न तो उक्त यूनियन को अपने बकाया का 25% देने के लिए सहमत होंगे और न ही उक्त यूनियन को प्रति माह वेतन का 25% देने के लिए सहमत होंगे, जिसके लिए वे प्रतिवादियों से प्राप्त करने के हकदार हैं।उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी प्रबंधन ने पहले ही कल्याणकारी गतिविधि करने का बीड़ा उठा लिया है और कल्याणकारी गतिविधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रबंधन ने पहले ही उनके द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक बड़ी राशि का वित्तपोषण करने पर सहमति व्यक्त की है।प्रबंधन द्वारा सहमत और वित्तपोषित राशि, याचिकाकर्ताओं सहित, शिक्षण कार्य जैसे कल्याणकारी कार्यों में शामिल सभी व्यक्तियों को भुगतान की जानी है।उन्होंने आगे कहा कि उक्त संघ को प्रतिवादियों के साथ कार्यरत शिक्षकों की कथित शिकायतों को उठाने और समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है (अनुलग्नक पी/5)। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने उक्त करार को मान्यता देने के लिए निष्पक्ष और उचित रूप से कार्य नहीं किया है।उन्होंने आगे कहा कि चूँकि उत्तरवादी संख्या 1 प्रबंधन उक्त सोसायटी के मामलों को नियंत्रित कर रहा है, इसलिए उन्हें अपनी पसंद के किसी मध्यस्थ के माध्यम से उक्त राशि का भुगतान करने की अनुमति देने के बजाय सीधे उक्त राशि का भुगतान करना चाहिए था।14. वह आगे यह भी प्रस्तुत करते है कि इस रिट याचिका के

लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता संख्या 2–अनिल कुमार पांडे अक्टूबर 2022 में सेवानिवृत्त हो चुके थे, याचिकाकर्ता संख्या 3–शेषमणि शर्मा नवंबर 2012 में सेवानिवृत्त हुए थे, याचिकाकर्ता संख्या 4–विष्णु प्रसाद मिश्रा वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन जहां तक अन्य कर्मचारियों का संबंध है, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।वह आगे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता संख्या 2, 3 और 4 को समान स्थिति वाले कर्मचारियों के बराबर उनके वेतन के पूर्ण लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने 29.03.1995 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।इसलिए यदि किसी भी तरह से यह पाया जाता है कि ये याचिकाकर्ता भी समझौता ज्ञापन से बंधे हैं, तो भी समझौते के नियमों और शर्तों में निर्धारित उनके वेतन के भुगतान की देयता प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी द्वारा वहन और भुगतान की जानी है।उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 2 से 4 के मामले में अन्य याचिकाकर्ताओं की तुलना में अंतर है, याचिकाकर्ता संख्या 2 से 4 को छोड़कर, क्योंकि उन्हें सेवा से नहीं हटाया गया था और उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति तक स्कूल में काम किया लेकिन उन्हें जो वेतन दिया जा रहा था वह शैक्षणिक संस्थान के अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के बराबर नहीं था और इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश और एम.ओ.यू. के नियमों और शर्तों के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं को वेतन के रूप में बहुत कम और खराब राशि का भुगतान किया जा रहा था, जिस पर दोनों पक्षों द्वारा एक समझौते के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे लेकिन समितियों के उपनियमों और प्रबंधन और समिति के बीच नियमों और शर्तों के पूर्व निर्धारण के अनुसार संपूर्ण देयता उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा वहन नहीं की जा रही थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उन्होंने आगे कहा कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं का पूरा वेतन अक्टूबर 2010 से रोक दिया गया था, जिसका अर्थ है कि अन्य याचिकाकर्ताओं के विपरीत गणना अलग से की जानी है और वेतन के पिछले बकाया की गणना वेतन की अवधि तक की जानी है और उसके बाद पूरे वेतन की गणना 2010 के बाद वेतन प्राप्त करने की पात्रता की वास्तविक तिथि तक की जानी है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही याचिकाकर्ता एम.ओ.यू. का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी वे समान स्थिति वाले कर्मचारियों के आधार पर अन्य शिक्षकों के बराबर वेतन पाने के हकदार हैं।उन्होंने आगे कहा कि यदि यह याचिका प्रतिवादी/एसईसीएल के विरुद्ध पोषणीय नहीं है तो सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी भी एक अलग इकाई है जिसके पास संस्थान चलाने के लिए धन के अपने स्रोत हैं और वह वेतन और अन्य मौद्रिक लाभों के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो संस्थानों पर लागू उपनियमों और सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि यह एसईसीएल के विरुद्ध पोषणीय नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के मद्देनजर, सोसाइटी इस माननीय न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन है और सोसाइटी स्वयं इस तत्काल मामले में प्रतिवादी संख्या 2 है। इसलिए, सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी के विरुद्ध याचिकाओं को उचित निर्देशों के साथ अनुमति दी जानी चाहिए।जहां तक सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित विभिन्न मामलों में प्रतिवादी कंपनी द्वारा संदर्भित कई निर्णयों का संबंध है, उन मामलों में सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी के खिलाफ राहत नहीं मांगी गई थी

और कुछ मामलों में सोसाइटी स्वयं पक्षकार नहीं थी, इसलिए वे निर्णय याचिकाकर्ता के मामले पर लागू नहीं होते हैं और वेतन देने के संबंध में देयता सिंघी कोलियरी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा वहन की जानी है, इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का दावा सोसाइटी के खिलाफ बनाए रखने योग्य है और याचिकाकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सोसाइटी के खिलाफ परमादेश जारी किया जा सकता है।

16.उत्तरवादी/एसईसीएल के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं और उत्तरवादी संख्या 1 और 3 के बीच कोई कर्मचारी और नियोक्ता संबंध नहीं है।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एसईसीएल सामुदायिक विकास के उद्देश्य से कल्याणकारी उपाय के एक भाग के रूप में विभिन्न संस्थानों और स्थानीय निकायों को बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन उनका सोसायटी के कामकाज पर कोई नियंत्रण नहीं है और यह नहीं माना जा सकता है कि सोसायटी का संचालन और नियंत्रण एसईसीएल द्वारा किया जा रहा है और वे रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया ।अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए, **वह माननीय उच्च न्यायालय के साथ-साथ राम सुरेश सिंह बनाम एसईसीएल और अन्य [डब्ल्यूपी क्रमांक 685/2006 (31.01.2019 को निर्णय लिया गया)], भारत सिंह बघेल और अन्य बनाम एसईसीएल और अन्य [डब्ल्यूए क्रमांक 33/2011 (26.08.2014 को निर्णय लिया गया)], जयंत कुमार श्रीवास्तव बनाम एसईसीएल [डब्ल्यूपीएस क्रमांक 6298/2010 (15.01.2019 को निर्णय लिया गया)], योग मणि अग्निहोत्री और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [डब्ल्यूए क्रमांक 431/2020 (12.10.2023 को निर्णय लिया गया)], अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एसईसीएल बनाम के मामले में माननीय उच्च न्यायालय और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करेंगे। (श्रीमती बिट्टन) एवं अन्य [डब्लू.ए. सं. 421/2024 (निर्णय दिनांक 08.07.2024)], शिव दयाल राय बनाम साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य [डब्लू.पी.एस. सं. 1355/2011 (निर्णय दिनांक 10.07.2024)] को हटा दिया गया और रिट याचिकाओं को** खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका संख्या 1675/2001 में कहा कि उत्तरवादीगण, विशेषकर प्रतिवादी संख्या 5, की कार्रवाई अवैध और मनमानी है, क्योंकि उत्तरवादी संख्या 5 न तो नियुक्ति प्राधिकारी है और न ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी, और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया है। इस प्रकार, उसके द्वारा जारी किया गया कोई भी नोटिस या आदेश और की गई कोई भी कार्रवाई अपने आप में अवैध, मनमानी और अधिकार क्षेत्र से बाहर है।उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 26.06.1996 का आक्षेपित आदेश प्रधानाचार्य श्री राज मणि त्रिपाठी द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और दुर्भावना से प्रेरित होकर जारी किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने श्री राज मणि त्रिपाठी द्वारा किए गए कुकृत्यों के बारे में व्यक्तिगत रूप से विभिन्न परिवाद की थीं।उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 26.06.1996 का विवादित आदेश झूठा, मनगढ़ंत और मनगढ़ंत दस्तावेज है, जिसे देरी से तैयार किया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त आदेश कभी जारी नहीं किया गया था और यह बाद में ही पता चला कि प्रिंसिपल ने उक्त दस्तावेजों को इस तरह से गढ़ा था कि मानो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता को उसकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया हो और इस प्रकार वह तत्काल रिट याचिका को अनुमति देने के लिए प्रार्थना किया गया ।

18. इस न्यायालय ने WP क्रमांक 285/1996 में दिनांक 12.02.2025 के आदेश द्वारा प्रतिवादी/एसईसीएल को यह सत्यापित करने और शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया है कि क्या एक बार के उपाय के रूप में पक्षों के बीच विवाद को एसईसीएल के पक्ष में अंडरटेकिंग निष्पादित करने की अनुमति देकर सुलझाया जा सकता है, जैसा कि पूर्व में एसईसीएल द्वारा किया गया है।

19. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, प्रतिवादी/एसईसीएल ने अपना हलफनामा दायर किया है जिसमें यह कहा गया है कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, सिंघी एजुकेशन सोसाइटीज और एसईसीएल के प्रबंधन के बीच कर्मचारी और नियोक्ता संबंध के संबंध में समान मुद्दा पहले ही तय किया जा चुका है, जिसमें यह माना गया है कि सिंघी एजुकेशन सोसाइटीज और एसईसीएल प्रबंधन के बीच कोई कर्मचारी और नियोक्ता संबंध नहीं है।यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता अब सोसाइटियों द्वारा संचालित स्कूल में काम नहीं कर रहे हैं और याचिकाकर्ताओं के साथ एकमुश्त समझौता करने की कोई संभावना नहीं है, खासकर जब एसईसीएल का प्रबंधन पहले से ही समझौता ज्ञापन के अनुसार 13,70,000/– रुपये की वित्तीय सहायता का भुगतान कर रहा है और रिट याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता से बात की और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अत्यंत संतुष्टि के साथ अध्ययन किया।

21. पक्षकारों के तर्क से, इस न्यायालय के निर्णय हेतु निम्नलिखित बिंदु उभर कर आए:–––

" बिंदु सं 1:क्या याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी /एस. ई. सी. एल. मध्य कर्मचारी तथा नियोक्ता संबंध है?
बिंदु सं 2:क्या WP संख्या 1675/2001 को विलंब के कारण खारिज किया जा सकता है?"
बिन्दु संख्या 1 पर चर्चा तथा निष्कर्ष :

22. बिन्दु क्रमांक 1 को समझने के लिए, इस न्यायालय के लिए संघ, शिक्षकों और एसईसीएल प्रबंधन (अनुलग्नक पी/5) के बीच हुए समझौते के प्रासंगिक खंड पर विचार करना समीचीन है, जो इस प्रकार है: – **"(1) एसईसीएल प्रबंधन 1.8.1989 से 31.1.1995 तक शिक्षकों को वेतन के रूप में अनुग्रह भुगतान के रूप में 20,95,632.50 रुपये (बीस लाख पंचानवे हजार छह सौ बत्तीस रुपये और पचास पैसे मात्र) का भुगतान करेगा।**

(3) इस समझौते का लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे, बशर्ते कि उनका प्रदर्शन संतोषजनक हो और विद्यालय समिति द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि 6 दिसंबर, 1994 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, संघ और शिक्षक बिना शर्त अवमानना याचिका अर्थात एमसीसी संख्या 344/94 और एम.पी. संख्या 3536/93 वापस लेते हैं।

(6) यदि किसी वर्ष प्रबंधन से 13 लाख 70 हजार रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मांगी जाती है, तो 13 लाख 70 हजार रुपये से अधिक की राशि में वृद्धि का निर्णय प्रबंधन द्वारा संघ और प्रधानाचार्य के परामर्श से लिया जाएगा।

(7) प्राचार्य, संस्था प्रमुख होने के नाते, मुख्य महाप्रबंधक/प्रबंध समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से, सिंघी कॉलरी शिक्षा समिति, हसदेव क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में समस्त अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया ।"

23. उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 3/एसईसीएल के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता एसईसीएल के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे सोसायटी के कर्मचारी हैं, जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कड़ी आपत्ति जताई तथा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण एसईसीएल द्वारा किया जाता है, इसलिए एसईसीएल याचिकाकर्ताओं का नियोक्ता है।याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा किया गया तर्क खारिज किए जाने लायक है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अभिलेख पर ऐसा कोई भी सामग्री पेश नहीं की है जिससे यह पता चलता है कि नियोक्ता होने के नाते एसईसीएल ने याचिकाकर्ताओं के कामकाज पर निगरानी और नियंत्रण रखा है या याचिकाकर्ता एसईसीएल के अनुशासनात्मक नियंत्रण में हैं। कानून की यह सुस्थापित स्थिति है कि रोजगार का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता को यह प्रदर्शित करना चाहिए था कि एसईसीएल का पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण है, जबकि रिकॉर्ड दर्शाता है कि स्कूल का प्रबंधन और नियंत्रण सोसायटी द्वारा किया जा रहा है, हालांकि सोसायटी के कुछ पदाधिकारी हैं, लेकिन जब तक याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल नहीं हो जाते कि पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण है, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता एसईसीएल के कर्मचारी हैं। नेशनल एल्युमीनियम कंपनी द्वारा वित्तपोषित सोसायटी के कर्मचारियों से संबंधित विवाद्यक, जो नाल्को के साथ मिलकर वेतन का दावा करते हैं, **नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड अनंत किशोर राउत एवं अन्य [(2014) 6 एससीसी 756]** जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 21, 22, 35 और 36 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:–––

"21. हमने इस मामले के अभिलेख के संदर्भ में उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया है। निःसंदेह, यह विद्यालय नाल्को द्वारा स्थापित किया गया है। नाल्को आवश्यक अवसंरचना भी प्रदान कर रहा है।इसने पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की है, क्योंकि शिक्षण शुल्क और विद्यालयों द्वारा प्राप्त अन्य आय से होने वाले व्यय को पूरा करने के बाद, घाटा नाल्को द्वारा पूरा किया जाता है। नाल्को ने विद्यालयों के लिए स्टाफ क्वार्टर भी उपलब्ध कराए हैं, जो विद्यालयों के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं।स्कूल के कर्मचारियों को मनोरंजन क्लब जैसी कुछ अन्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं। हालाँकि, प्रश्न यह है कि क्या ये सुविधाएँ स्कूल के कर्मचारियों को नाल्को का कर्मचारी बनाने के लिए पर्याप्त हैं।
22. नियोक्ता–कर्मचारी संबंध के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए, सही दृष्टिकोण यह विचार करना होगा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि क्या नाल्को का पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण है। इस न्यायालय ने **केमिकल वर्क्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में वर्ष 1957** में ऐसा ही निर्णय दिया था।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मालिक और नौकर का रिश्ता एक तथ्य का प्रश्न है और यह नियोक्ता में मौजूद शक्ति पर निर्भर करता है, न केवल यह निर्देश देने का कि नौकर को क्या काम करना है, बल्कि यह भी कि काम किस तरीके से किया जाना है। इसे निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित करके समझाया गया:---

"14. इन प्राधिकारियों से जो सिद्धांत उभर कर आता है वह यह है कि मालिक और नौकर के बीच संबंध के निर्धारण के लिए प्रथम दृष्टया परीक्षण मालिक में नौकर द्वारा किए गए कार्य की निगरानी और नियंत्रण करने के अधिकार का अस्तित्व है, न केवल यह निर्देश देने के मामले में कि नौकर को क्या काम करना है, बल्कि यह भी कि वह अपना काम किस तरीके से करेगा, या मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बनाम कॉगिंस एंड ग्रिफिथ (लिवरपूल) लिमिटेड, और अन्य में पृष्ठ 23 पर लॉर्ड उथवाट के शब्दों को उधार लेते हुए, "उचित परीक्षण यह है कि क्या किराएदार के पास प्रश्नगत कार्य के निष्पादन के तरीके को नियंत्रित करने का अधिकार था या नहीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

35. हम बार-बार दोहराते हुए कहते हैं कि नाल्को कर्मचारियों और दोनों स्कूलों के कर्मचारियों के बीच कार्य की प्रकृति, नियुक्ति के तरीके, अनुभव, शैक्षिक योग्यताओं में कोई समानता नहीं है।वास्तव में, ऐसी तुलना सरकारी स्कूलों और/या सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में उनके समकक्षों के साथ की जा सकती है।इस मानदंड पर, उन कर्मचारियों की कोई शिकायत नहीं हो सकती जिन्हें बेहतर पारिश्रमिक मिल रहा है और जो कहीं बेहतर सेवा शर्तों का आनंद ले रहे हैं।

36. इस प्रकार, हमारा मत है कि उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय टिकने योग्य नहीं है।इन अपीलों को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है।हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।"

24. इस याचिका में उठाया गया विवाद्यक न्यायालय के समक्ष राम सुरेश सिंह (सुप्रा), भरत सिंह बघेल (सुप्रा), जयंत कुमार श्रीवास्तव (सुप्रा), योग मणि अग्निहोत्री (सुप्रा), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एसईसीएल (सुप्रा), शिव दयाल राय (सुप्रा) के मामले में भी विचारार्थ आया है, जिसमें माननीय खंडपीठ और इस न्यायालय की एकलपीठ ने माना है कि केवल एसईसीएल द्वारा वित्तीय सहायता देना पक्षों के बीच कर्मचारी और नियोक्ता संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और तदनुसार, इसने याचिकाकर्ता को अनुतोष देने से इनकार कर दिया है।

25. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एसईसीएल याचिकाकर्ताओं का नियोक्ता नहीं है और याचिकाकर्ताओं के बीच कोई कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता एसईसीएल के खिलाफ कोई अनुतोष पाने के हकदार नहीं हैं और जहां तक एसईसीएल का संबंध है, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है और

याचिकाकर्ता उचित मंच के समक्ष सांघी कोलियरी एजुकेशन सोसायटी के खिलाफ राहत का दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं।इस प्रकार, रिट याचिका का निपटारा उन्हें दी गई उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ किया जाता है और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध बिंदु संख्या 1 का उत्तर दिया जाता है।

बिंदु संख्या 2 पर चर्चा और निष्कर्ष :

26. याचिकाकर्ता ने याचिका संख्या 1675/2001 में अपनी सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती दी है, जो सेवा समाप्ति के 5 वर्ष बीत जाने के बाद 26.06.1996 को पारित किया गया था।इससे पहले जब 28.08.2001 को याचिका दायर की गई थी, तो यह कहा गया था कि मौखिक आदेश द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और तत्पश्चात 01.11.2011 को रिट याचिका में संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 26.06.1996 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। उक्त संशोधन को इस न्यायालय ने 15 वर्षों की समाप्ति के बाद 24.11.2011 को अनुमति दी थी। यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा पांच वर्षों के विलंब के बाद प्रारंभिक चरण में रिट याचिका प्रस्तुत करने और 15 वर्षों के बाद समाप्ति आदेश को चुनौती देते हुए संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया, इस प्रकार रिट याचिका विलंब और विलंब से ग्रस्त है।विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि यद्यपि रिट याचिका दायर करने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसे शीघ्रता से दायर किया जाना चाहिए और यदि विलंब हो रहा है, तो उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी मामले में, यह अत्यधिक विलंब नहीं होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. अभिलेखों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और यहां तक कि प्रतिवादियों ने भी 20.03.2002 को रिटर्न दाखिल किया, जिसमें उन्होंने 26.06.1996 के समाप्ति आदेश की प्रति संलग्न की और संशोधन की मांग नौ वर्ष बाद की गई, हालांकि इसे रिट याचिका में शामिल किया गया था, लेकिन इसे वर्ष 2001 में याचिका दायर करने में हुये विलंब को उचित ठहराने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है क्योंकि संशोधन का पूर्वव्यापी आवेदन संभावित रूप से निहित अधिकार या दायित्व को प्रभावित कर सकता है जो संशोधन से पहले स्थापित किए गए थे।पूर्वव्यापी प्रभाव अनुचित होगा और कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, इसलिए, हालांकि इस न्यायालय द्वारा संशोधन की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसे चुनौती देने में हुये विलंब हेतु क्षमा नहीं किया जा सकता है. विधि की सुस्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि सी.पी.सी. के प्रावधान रिट याचिका पर सख्ती से लागू नहीं होते, फिर भी सी.पी.सी. के मूल सिद्धांत रिट याचिका पर लागू होते हैं। मामले के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका में समाप्ति आदेश को चुनौती देने वाले पूर्वव्यापी संशोधन पर आपत्ति नहीं की जा सकती है।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोत्तर **रेलवेप्रशासन, गोरखपुर बनाम भगवान दास (मृत) द्वारा एलआरएस के मामले में पूर्वव्यापी संशोधन के प्रभाव पर भी विचार किया है,**
(2008) 8 एससीसी 511] और कंडिका 16 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"15. जहाँ तक आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. (जैसा कि प्रासंगिक समय पर था) के तहत संशोधनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के प्रश्न को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का संबंध है, वे भी सुस्थापित हैं। सी.पी.सी. के आदेश 6 नियम 17 में कार्यवाही के किसी भी चरण में अभिवचनों में संशोधन का प्रावधान है। पिरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम कलगोंडा शिदगोंडा पाटिल एवं अन्य, जो अभी भी मान्य है, में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सभी संशोधनों को अनुमति दी जानी चाहिए जो दो शर्तों को पूरा करते हैं: (क) दूसरे पक्ष के साथ अन्याय न करना, और (ख) पक्षों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण के उद्देश्य से आवश्यक होना।संशोधनों को केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए, जब दूसरे पक्ष को उसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता हो, जैसे कि यदि अभिवचन मूल रूप से सही थी, लेकिन संशोधन से उसे ऐसी क्षति होगी, जिसकी लागत से भरपाई नहीं की जा सकती थी।(यह भी देखेःगजानन जयकिशन जोशी बनाम प्रभाकर मोहनलाल कलवार)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इस प्रकार, रिट याचिका शुरू से ही विलंब और अड़चनों से ग्रस्त है और यहां तक कि संशोधन में भी 15 वर्षों का विलंब हो चुका है जिसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है। इसलिए, रिट याचिका विलंब और अड़चनों के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि विलंब से समता समाप्त हो जाती है। तदनुसार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध बिंदु संख्या 2 का भी उत्तर दिया जाता है।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मृण्मय मैती बनाम छंदाकोले एवं अन्य [2024 लाइवलॉ (एससी) 318]** के मामले में याचिका दायर करने में विलंब के विवाद्यक पर विचार किया है और कंडिका 12 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:––– **"12. इस न्यायालय द्वारा कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम के. थंगप्पन एवं अन्य, (2006) 4 एससीसी 322 में दिए गए आदेश पर ध्यान देना समीचीन है, जिसके अंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक की ओर से अपने अधिकार का दावा करने में लापरवाही या चूक होती है, तो उच्च न्यायालय असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। इसके अंतर्गत आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है:––––––**

"6. विलंब या लापरवाही उन कारकों में से एक है जिसे उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए।किसी उपयुक्त मामले में, उच्च न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है यदि आवेदक की ओर से अपने अधिकार का दावा करने में ऐसी लापरवाही या चूक हो, जो समय बीतने और अन्य परिस्थितियों के साथ मिलकर विरोधी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनती है।यहाँ तक कि जहाँ मौलिक अधिकार शामिल है, मामला अभी भी न्यायालय के विवेकाधिकार में है, जैसा कि दुर्गा प्रसाद बनाम मुख्य आयात एवं निर्यात

नियंत्रक [(1969) 1 एससीसी 185 :एआईआर 1970 एससी 769] में बताया गया है।निःसंदेह, विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक और तर्कसंगत रूप से किया जाना चाहिए।

7. इस संबंध में सर बार्न्स पीकॉक द्वारा लिंडसे पेट्रोलियम कंपनी बनाम प्रॉस्पर आर्मस्ट्रांग हर्ड [(1874) 5 पीसी 221:22 डब्ल्यूआर 492] (पीसी पृष्ठ 239 पर) में जो कहा गया था, उसे इस न्यायालय ने मून मिल्स लिमिटेड बनाम एम.आर. मेहर [एआईआर 1967 एससी 1450] और महाराष्ट्र एसआरटीसी बनाम श्री बलवंत रेगुलर मोटर सर्विस [(1969) 1 एससीआर 808:एआईआर 1969 एससी 329] में अनुमोदित किया था।सर बार्न्स ने कहा थाः"अब, न्याय–व्यवस्था की न्यायालय में लापरवाही का सिद्धांत कोई मनमाना या तकनीकी सिद्धांत नहीं है।जहां उपचार देना व्यावहारिक रूप से अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि या तो पक्षकार ने अपने आचरण से ऐसा कार्य किया है जिसे उचित रूप से उसके त्याग के समतुल्य माना जा सकता है, या जहां उसने अपने आचरण और उपेक्षा से, यद्यपि संभवतः उस उपचार का त्याग नहीं किया है, तथापि दूसरे पक्षकार को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिसमें उसे रखना उचित नहीं होगा, यदि उपचार बाद में प्रस्तुत किया जाए, तो इन दोनों ही मामलों में, समय की चूक और विलम्ब सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।परंतु हर प्रकरण में, यदि राहत के खिलाफ कोई तर्क, जो अन्यथा न्यायसंगत होता, केवल देरी पर आधारित है, तो वह विलंब निश्चित रूप से किसी भी परिसीमा अधिनियम द्वारा रोक के बराबर नहीं है, उस बचाव की वैधता का परीक्षण काफी हद तक न्यायसंगत सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए।ऐसे मामलों में दो परिस्थितियाँ हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं, विलंब की अवधि और अंतराल के दौरान किए गए कार्यों की प्रकृति जो किसी भी पक्ष को प्रभावित कर सकती है और एक या दूसरे तरीके को अपनाने में न्याय या अन्याय का संतुलन पैदा कर सकती है, जहां तक यह उपाय से संबंधित है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान देना उचित होगा जिनमें संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में इस पहलू पर विचार किया गया है।यह स्पष्ट है कि उस अनुच्छेद के संबंध में जो कुछ कहा गया है, वह अनुच्छेद 226 पर भी लागू होगा।रवींद्रनाथ बोस बनाम भारत संघ [(1970) 1 एससीसी 84: एआईआर 1970 एससी 470] में यह देखा गया था कि याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष नहीं दी जा सकती है जो बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के अत्यधिक विलंब के बाद अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का रूख किया है। यह कहा गया था कि यद्यपि अनुच्छेद 32 स्वयं एक गारंटीकृत अधिकार है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि यह न्यायालय सभी सिद्धांतों की अवहेलना करे और अत्यधिक विलंब के बाद दायर याचिकाओं में अनुतोष प्रदान करे।

9. मध्य प्रदेश राज्य बनाम नंदलाल जायसवाल [(1986) 4 एससीसी 566 : एआईआर 1987 एससी 251] में कहा गया था कि उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए सामान्यतः सुस्त और आलसी या मौन और सुस्त व्यक्ति की सहायता नहीं करता है। यदि याचिकाकर्ता की ओर से अत्यधिक विलंब होता है और इस विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने और अनुतोष देने से

इनकार कर सकता है।यह कहा गया कि यह नियम कई कारकों पर आधारित है। उच्च न्यायालय सामान्यतः असाधारण उपाय के लिए विलंबित सहारा लेने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि इससे भ्रम और सार्वजनिक असुविधा उत्पन्न होने की संभावना होती है और साथ ही नए अन्याय भी हो सकते हैं, और यदि रिट अधिकारिता का प्रयोग अनुचित विलंब के बाद किया जाता है, तो इससे न केवल कठिनाई और असुविधा उत्पन्न हो सकती है, बल्कि तीसरे पक्ष पर अन्याय भी हो सकता है।यह बताया गया कि जब रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जाता है, तो इस बीच तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण के साथ–साथ अस्पष्टीकृत विलंब एक महत्वपूर्ण कारक है, जो उच्च न्यायालय को यह निर्णय लेने में भी प्रभावित करता है कि इस तरह के क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाए या नहीं।"

31. परिणामस्वरूप, जहां तक उत्तरवादी संख्या 1 और 3/एसईसीएल का संबंध है, डब्लूपी संख्या 285/1996 खारिज की जाती है।हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी संख्या 2/सोसायटी के विरुद्ध सोसायटी अधिनियम, 1960 के तहत उपलब्ध उपायों का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।जहाँ तक याचिका संख्या 1675/2001 का संबंध है, उसे भी विलंब के आधार पर खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur